Class – B.Com II
Subject – MFI
Paper – IV (S)
Topic – Methods of issue of Paper Money
Lecture – 28
By Dr C P Sahu
Marwari College Dar

पत्र मुद्रा निर्गमन की प्रणाली :– (1)

~~पत्र मुद्रा के प्रबंध में ... ~~

पत्र मुद्रा निर्गमन के संबंध में प्रारम्भिक काल में काफी मतभेद रहा है। यह अधिकार निर्गमन बैंकों को दिया जाय या केवल केन्द्रीय बैंक (रिजर्व बैंक) को दिया जाय। लेकिन विद्वानों का मानना है कि पत्र मुद्रा का निर्गमन दोनों में से कोई भी करें लेकिन सरकारी नियंत्रण रहना आवश्यक है। नोट का निर्गमन सरकार के तुलना में व्यवस्थित एवं व्यावहारिक रूप में केन्द्रीय बैंक द्वारा ही श्रेयस्कर है। अब प्रश्न उठता है कि एकल नोट निर्गमन प्रणाली अपनाई जाये या बहुल नोट प्रणाली। वर्तमान में विश्व के अधिकतर देशों द्वारा एकल नोट प्रणाली अपनाई जा रही है।

विश्व के देशों ने अपनी आवश्यकताओं एवं साधनों की उपलब्धता के आधार पर निम्नलिखित विभिन्न प्रणालियों को व्यवहार में लाने का प्रयास किये हैं :—

(1) साधारण निधि प्रणाली :– साधारण निधि प्रणाली के अन्तर्गत पत्र मुद्रा निर्गत के लिए शत प्रतिशत धातु कोष में रखना पड़ता है। पत्र मुद्रा सोने एवं चाँदी में परिवर्तनशील होती है।

गुण :– (1) अत्यन्त सरल (2) जनता का अटूट विश्वास (3) मुद्रा प्रसार का भय नहीं (4) स्वयं संचालन

दोष :– (1) वर्तमान परिस्थिति में अव्यावहारिक (2) अमितव्ययी (3) लोचपन का अभाव (4) विकासशील देश के लिए अनुपयुक्त

(2) निश्चित विश्वासाश्रित प्रणाली :– इस पद्धति के अन्तर्गत एक निश्चित सीमा तक नोट निर्गमन के लिए कोई धातु कोष नहीं रखा जाता है लेकिन निर्धारित सीमा से अधिक निर्गत करने पर धातु कोष रखना पड़ता है।

Scanned with CamScanner

(2)

गुण - (1) जनता का विश्वास (2) सुरक्षा (3) मुद्राप्रसार का भय नहीं

दोष - (1) सुविधा का अभाव (2) अपव्ययी (3) लोच का अभाव

(3) अधिकतम विश्वासाश्रित प्रणाली - देश के सरकार देश मौद्रिक आवश्यकता को देखते हुए पत्रमुद्रा निर्गमन की विश्वासाश्रित अधिकतम सीमा निश्चित करती है। इस सीमा तक नोट छापने के लिए कोई धातु कोष नहीं रखना पड़ता।

(•) गुण - लोचदार प्रणाली, मितव्ययी प्रणाली एवं मुद्रा प्रसार का भय नहीं।

दोष :- सीमा परिवर्तन एक कठिन कार्य, रूढ़िवादी प्रणाली लोच का अभाव

(4) आनुपातिक कोष प्रणाली :- यह प्रणाली बैंकिंग सिद्धान्त पर आधारित है। इसके अन्तर्गत निर्गमित किये जाने वाली पत्रमुद्रा जो पहले से ही निर्धारित है अतः इसके लिए निर्धारित स्वर्ण कोष में रखना पड़ता है और शेष भाग के लिए सरकारी प्रतिभूतियाँ, बॉन्ड्स या ऋणपत्र रखे जाते हैं।

गुण – परिवर्तनशीलता, मुद्राप्रसार का भय नहीं एवं लोचदार
दोष – परिवर्तनशीलता से भ्रम उत्पन्न होना, कोष की व्यर्थता, चलन में मुद्रा को कम करना कठिन

(5) आंशिक अनुपात कोष प्रणाली – नोट निर्गमन यह प्रणाली बैंकिंग सिद्धान्त पर आधारित है। इसके अन्तर्गत पत्र मुद्रा के पीछे निश्चित अनुपात या प्रतिशत धातु कोष में रखी जाती है।

गुण – जनता का विश्वास, लोचदार प्रणाली एवं मितव्ययी
दोष – (1) धातु अनावश्यक रूप में कोष में रखना
(2) कोष के कमी होने पर मुद्रा संकुचन करना कठिन
(3) विदेशी प्रतिभूतियाँ कोष रखना जिससे विनियोग करना कठिन

(6) न्यूनतम कोष प्रणाली :- इसके अन्तर्गत नोट निर्गमन के लिए धातु एवं विदेशी मुद्रा कोष की एक न्यूनतम मात्रा निश्चित कर दी जाती है।

गुण - मितव्ययी, लोचदार इत्यादि

दोष - मुद्रा प्रसार का भय, जटिल व्यवस्था एवं जनता का कम विश्वास

(7) कोषागार विपत्र निधि प्रणाली - इसके अन्तर्गत निर्गमन के लिए धातु या सोना कोष में नहीं रखा जाता है। मुद्रा अधिकारी इन कोषागार विपत्रों के मूल्यों के बराबर तक ही पत्र मुद्रा का निर्गमन कर सकता है।

गुण - धातु कोष की आवश्यकता नहीं एवं मुद्रा प्रसार का भय नहीं

दोष - लोच का अभाव एवं जनता का कम विश्वास

(8) कोष रहित प्रणाली - इसके अन्तर्गत कोष में कोई धातु रखे बिना ही नोट जारी किया जाता है। यह केन्द्रीय बैंक द्वारा जारी किया जाता है जो कि वैधानिक रूप से मान्य होती है। हमारे देश में 1 रुपये का नोट इस प्रणाली का उदाहरण है।

गुण - सरल, मितव्ययी, लोचपूर्ण एवं अविकसित देशों के लिए

दोष - जनता का विश्वास कम एवं मुद्रा प्रसार का भय अधिक

Scanned with CamScanner

हमारे भारत देश में नई व्यवस्था के तहत (5)
रिजर्व बैंक को कुल 200 करोड़ रुपये के मूल्य का कोष
रखकर आवश्यकतानुसार जितनी चाहे मुद्रा निर्गमित
करने का अधिकार दिया गया है। इस 200 करोड़ रुपये
के कोष में कम से कम 115 करोड़ रुपये के मूल्य का स्वर्ण
होना अनिवार्य कर दिया गया है। शेष कोष में विदेशी
प्रतिभूतियाँ रखा जा सकता है।

हमारे देश में सरकार एवं रिजर्व बैंक अपने मौद्रिक
प्रबन्ध द्वारा देश की वर्तमान नोट निर्गमन प्रणाली के
निहित दोषों को दूर कर सकते हैं। रुपये के आन्तरिक
मूल्य की स्थिरता बनाये रखने तथा देश में मुद्रा प्रसार को रोकने
के लिए सरकार एवं रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर अनेक
कदम उठाये गये हैं। — x —